



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

तरवी राम मुण्डू बनाम लक्ष्मण डरॉव

135

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम.....104/2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी बुनादाबु (राँची) को अप्राथमिकी सं०-35/18 दिनांक-26.7.18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि जमीन विवाद की लैकड समय पत्र में वनाव है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या समय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर समय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। समय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश वयो नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 24.8.18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संश्लेषित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div> <p align="center" style="margin-top: 20px;">पीठाधीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त 1 दिनांक 07-09-18 को रखा है।</p>	

24-08-18

25-02-19

उमय पत्र की कोट से एजरी दी गई। कार्यपालक दण्डाध्यक्ष का कार्य में व्यस्ता मंगली तिथि 11-03-19 है।

11-03-19

अभिलेख उपस्थापित। उमय पत्र उपस्थित दिनांक पत्र अधिवक्ता एजरी। उमय पत्र उवाच दाखिल की दिनांक 29-03-19 को रखे।


11/03/19

29-03-19

अभिलेख उपस्थापित। उमय पत्र उपस्थित दिनांक पत्र अधिवक्ता एजरी। उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की कारवाई बंद की जाती है।


29/03/19